(वाद सं0–3509/4/27/2020)

02.09.2021

परिवादी, मुकेश रंजन राय, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, बिहार राज्य खाद्य निगम, जिला कटिहार में वाह्य स्त्रोत से कार्यरत परिवादी को जिला प्रबंधक, बी0एस0एफ0एस0सी0, कटिहार द्वारा सेवा से मुक्त किये जाने से संबंधित है।

उक्त के सम्बन्ध में बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अपने प्रतिवेदन में फूड कॉरपोरेशन का कथन है कि परिवादी बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना (बी0एस0एफ0एस0सी0) का कर्मचारी नहीं है। वास्तव में वह एक निजी संस्था 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है जिसे बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा आउटसोर्स किया गया है। परिवादी को उक्त आउटसोर्स कंपनी द्वारा ही सेवामुक्त किया गया है, जिसमें बी0एस0एफ0एस0सी0 की कोई भूमिका नहीं है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि है कि 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, कटिहार के पत्र के आलोक में ही उसे सेवामुक्त किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि अपने सेवामुक्त किये जाने के विरूद्ध उसके द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष दिये गये अभ्यावेदन पर जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा जिला प्रबंधक, बी0एस0एफ0एस0सी0, कटिहार द्वारा परिवादी के विरूद्ध लगाये आरोपों को सत्य नहीं पाया गया है।

प्रसंगांधीन मामला किसी सरकारी प्राधिकार के विरूद्ध नहीं है अपितु एक निजी संस्था के विरूद्ध है जिसके द्वारा परिवादी को सेवामुक्त किया गया है हालांकि परिवादी का कथन है कि उसके नियोक्ता (निजी कम्पनी) द्वारा एक सरकारी कर्मचारी (जिला प्रबंधक बी0एस0एफ0एस0सी0) कटिहार के अनुरोध पत्र के आलोक में ही सेवामुक्त के संबंध में कार्रवाई की गयी है जिस आरोप को जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सत्य नहीं पाया गया है।

ऐसी परिस्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग किसी निजी संस्था को किसी व्यक्ति विशेष को सेवा में रखने हेतु कोई दिशा–निर्देश देना उचित नहीं समझता है **लेकिन न्यायहित में परियोजना प्रबंधक, 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राज्य खाद्य निगम, पटना को मानवीय दृष्टिकोण से परिवादी के इस कथन पर विचार करने का अनुरोध किया जा सकता है कि जिस आरोप के आधार पर परिवादी को उक्त कंपनी द्वारा सेवामुक्त किया गया है उस आरोप को जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सत्य नहीं पाया गया है।**

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामला एक निजी कंपनी से संबंधित है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग स्तर से प्रसंगाधीन मामले में कोई निर्देश/आदेश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रंसगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर (पृ0–131–127/प0) की प्रति सूचनार्थ व नियमानुसार समुचित कार्रवाई हेतु उप महाप्रबंधक, आधुनिकीकरण, राज्य खाद्य निगम मुख्यालय पटना/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/कटिहार व परियोजना प्रबंधक, 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना व परिवादी को भेजी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक